



प्रेस विज्ञप्ति

03.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंच ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में स्पेन में लक्जरी नौका और अचल संपत्तियों सहित लगभग 131.45 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ये संपत्तियां ऑक्टाएफएक्स प्लेटफॉर्म के पीछे के मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव की हैं। इन संपत्तियों में एक लक्जरी यॉट, एक मिनीजेट बोट, लक्जरी कार के रूप में चल संपत्तियां और स्पेन में दो आवासीय संपत्तियों के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं। इस लक्जरी यॉट का नाम- "चेरी" है जो एक इतालवी मॉडल वाणिज्यिक यॉट है एवं पश्चिमी भूमध्य सागर में घूम रही है।

ईडी ने ऑक्टाएफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके निवेशकों को धोखा देने के आरोप में कई व्यक्तियों के खिलाफ शिवाजी नगर पीएस, पुणे द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आईपीएल, सोशल मीडिया और मशहूर हस्तियों के माध्यम से प्रचारित एक अनधिकृत विदेशी मुद्रा दलाल ऑक्टाएफएक्स ने फर्जी ई-कॉमर्स फर्मों के नाम पर खच्चर खातों के माध्यम से निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके धन शोधन किया। इन शेल फर्मों ने डमी निदेशकों और हेरफेर किए गए केवाईसी के साथ, वैध व्यापारियों के रूप में प्रस्तुत करते हुए भुगतान गेटवे तक पहुंच बनाई। अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर और एस्क्रो खातों के माध्यम से धन भेजा गया, जिससे स्वामित्व और लेनदेन के उद्देश्य को अस्पष्ट करने के लिए परतें जुड़ गईं। ऑक्टाएफएक्स ने निवेशकों से अपने धोखाधड़ी वाले संचालन को छिपाने के लिए जानबूझकर अपने लॉगिन यूआरएल और वेब पते बदल दिए। प्लेटफॉर्म ने ई-वॉलेट और फर्जी संस्थाओं के खातों में धन की हेराफेरी करते हुए निवेशकों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रेडों में हेराफेरी की।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि ऑक्टाएफएक्स ने भारत में अपने परिचालन से मात्र नौ महीनों में कम से कम 800 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की है। निवेशकों से ठगी गई धनराशि को ऑक्टाएफएक्स के पीछे के मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को सेवाओं के फर्जी आयात की आड़ में स्पेन, एस्टोनिया, रूस, हांगकांग, सिंगापुर, यूएई और यूके में ले जाया गया।

ईडी ने 296 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त और कुर्क की है, जिसमें स्पेन में पावेल प्रोज़ोरोव की 19 संपत्तियां शामिल हैं। ऑक्टाएफएक्स और 54 अन्य आरोपियों के खिलाफ दो अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनका माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने संज्ञान लिया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

